न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
प्रशासन गांवो के संग अभियान/कोर्ट कैम्प अटल सेवा केन्द्र – अटपड़ा
पीठासीन अधिकारीः– श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 55/2020

वादीगण		बनाम	प्रतिवादीगण
1.	भोमाराम पुत्र जस्साराम जाति सरगरा नि0 राम प्याउ के पीछे, शास्त्रीनगर सोजतसिटी तहसील सोजत, जिला–पाली, (राजस्थान)	1.	रामलाल पुत्र पोकरराम
		2.	मगाराम पुत्र किशनाराम उर्फ कसाराम जातियान सीरवी नि0 सियाट तह0 सोजत जिला पाली
		3.	प्रेमराज बम्बोली पुत्र हस्तीमल जाति जैन नि0 सियाट हाल नि0 Mega Trade Innovation PVT. Ltd B 1-370 Gandhi Street Near Kailash Cinema Chowk Ludhiana
		4	महावीरचन्द पुत्र सुगनचन्द के वारिस
		4/1	जितेन्द्र कुमार बम्बोली पुत्र महावीरचन्द बम्बोली जाति जैन निवासी सियाट हाल नि0 74/53 Brindavan ST West Mambalam Chennai 33.
		5	हिमताराम पुत्र कोलाराम जाति सिरवी नि0 सियाट तह0 सोजत जिला पाली
		6	तहसीलदार (भूमिधारक) सोजत

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः–

1. **श्री गजेन्द्र सोनी व श्री गोविन्द दवे अधिवक्ता वादीगण उपस्थित।**
2. **श्री अशोक गहलोत अधिवक्ता प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 उपस्थित।**

–: निर्णय :– **दिनांक – 02.10.2021**

अधिवक्ता मय वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा बासनी तिलवाड़िया पटवार हल्का आलावास भू0अ0निरी0 सोजत रोड़ तह0 सोजत में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि नया खाता संख्या 243 पुराना खाता नंबर 227 खसरा नंबर 214, 215, 216, 217 कुल कुल खसरा 04 कुल रकबा 2.9300 हैक्टर किस्म मेहन्दी, बा0अ0 कृषि भूमि स्थित है। उक्त वादपत्र के साथ एक नजरी नक्शा पेश किया गया है, जो परिशिष्ट 'ए' है, जिसमें लाल स्याही से दर्शित हिस्से पर वादी काबिज काश्त है। जो नजरी नक्शा इस वाद पत्र का आवश्यक भांग व अंग है। वादस्थ आराजीयात की कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि स्थित है। उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि में वादी का 1/4 हक हिस्सा आता है। प्रतिवादीगण अपनी मनमर्जी से संयुक्त कृषि जोत भूमि खसरा संख्या 217 रकबा 0.7100 है0 भूमि जो पूर्व में वादी एवं प्रतिवादी के मध्य हुए बंटवाड़ा के अनुसार वादी के हक हिस्से में आई है तथा इसी माफिक

वादी ने उक्त कृषि भूमि को लाखो रूपये विनियोजित कर उपजाऊ योग्य बनाया है तथा पक्की चार दीवार भी वादी ने करवायी है परन्तु अब प्रतिवादीगण वादग्रस्त कृषि जोत की भूमि का कायदे के अनुसार हुए विभाजन के अनुसार काबिज नहीं होकर वादी के हक हिस्से में आयी भूमि में दखल अंदाजी कर वादी को लाठी लकड़ी के बल पर वादग्रस्त कृषि जोत की भूमि में माठ, धोरा पाली को तोड़कर उपजाऊ जमीन देखकर मर्जी माफिक तारबंदी खिचवा कर कब्जा करना चाहते है। इससे वादी को बड़ी हक तलफी होगी। सारी वादग्रस्त कृषि जोत की भूमि एक भी नही है। बल्कि हल्की, भारी, कम उपजाऊ ज्यादा उपजाऊ है। अतएव वादी इस वादग्रस्त कृषि जोत की भूमि का डिविजन ऑफ होल्डींग बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा करवा कर अपना 1/4 हक हिस्सा अलग करवाना चाहते है। अतएव वादीगण का यह दावा अन्तर्गत धारा 53 राज0 काश्त0 अधि0 डिविजन ऑफ होल्डींग बंटवाड़ा बाई मिटस एण्ड बाउण्डस करवा कर अपना हिस्सा अलग करवा कर अलग से कब्जा प्राप्त करने का प्रस्तुत करते है। प्रतिवादीगण वादग्रस्त कृषि जोत की भूमि पर जब तक बंटवाड़ा नहीं करवा लेवे, जब तक वादग्रस्त कृषि भूमि पर जबरदस्ती काबिज काश्त होने व तारबंदी व निर्माण कार्य करने के अधिकारी नहीं है। अतः यह दावा प्रतिवादीगण के विरूद्ध बंटवाड़ा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया है। वाद हेतु दिनांक 15.09.2020 को प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि पर आकर मर्जी माफिक तारबंदी एवं निर्माण कार्य करने की धमकी देने एवं वादी द्वारा बंटवाड़ा करवाने का कहने पर प्रतिवादीगण के द्वारा साफ इंकार हो जाने से वाद कारण बमुकाम ग्राम बासनी तिलवाड़िया सोजत पैदा हुआ। ग्राम रेन्दड़ी तह0 सोजत में होने से न्यायालय हाजा क्षेत्राधिकार का है। वादग्रस्त कृषि जोत की भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा करवाये जाने एवं कृषि भूमि पूर्व में वादी के हक हिस्से में आयी भूमि तथा वर्तमान में वादी जिस भूमि पर काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग कर रहा है उसका 1/4 हक हिस्सा वादी का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस अलग करवाया जाकर उस पर अलग से वादी का कब्जा कराया जावे व राजस्व रेकर्ड में नक्शे में अलग से भूमि तरमीम करवाये जाने की ईश्तदुआ की है। इस हेतु वाद बाबत् बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश किया है। इस प्रकार अधिवक्तागण मय वादी ने अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर माफिक दावा वाद डिक्री किये जाने तथा उक्त भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाड़ा किये जाने की ईस्तदुआ की है। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी जरिए सम्मन वास्ते ज0दा0 तलब किये गये। दिनांक 06.01.2021 प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 की ओर से अशोक गहलोत अधिवक्ता ने वकालतनामा एवं ज0दा0 पेश किया, की प्रति अधिवक्ता वादी को दिलाई, गई, सा0मि0 हो। दिनांक 30.03.2021 को अधिवक्ता वादी ने प्रा0 पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रति0 सं0 3 व 4 को जरिए रजि0 एडी दिनांक 22.09.2020 को सम्मन भेजा जा चुका था, जिसकी एडी तामिली/अदम तामिल आज दिनांक तक लौट कर नहीं आई, ऐसे में सिविल प्रक्रिया संहिता की उपधारणा के अनुसार रजि0 डाक के 30 दिन के पश्चात स्वतः ही तामिल की श्रेणी में आता है। अतः प्रतिवादी संख्या 03 व 4 की तामिली माना जाकर प्रा0 डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी को जरिए रजि0 एडी दिनांक 22.09.2021 को जारी होकर रजि0 एडी रसीद पत्रावली पर उपलब्ध है। लिहाजा सीपीसी की उपधारणा अनुसार प्रतिवादी को जारी एडी के जरिए समन नही लौटने पर तामिल की श्रेणी में आने से प्रतिवादी संख्या

3 व 04 की तलबी मानी जाती है। तामिली सूचना बावजूद बार–बार आवाजे दिलाये जाने पर भी अनु0 रहने से प्रति0 संख्या 3, 4/1, 5 के विरूद्ध दिनांक 30.03.2021 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अधिवक्ता वादी ने प्रा0 डिक्री जारी करने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण विभाजन का है। प्रति0 संख्या 1 व 2 द्वारा इकबालिया ज0दा0 पेश कर बंटवाड़ा किये जाने में सहमति जाहिर की है। प्रतिवादी संख्या 3, 4/1, 5 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जा चुकी है। प्रति0 संख्या 06 जबाब दावा पेश नही करना चाहने से जबाब दावा बन्द किया जाता है। उभय पक्ष विभाजन हेतु सहमत है। लिहाजा प्रा0 डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रति0 इस अमर सादिर की गई कि सरहद मौजा बासनी तिलवाड़िया पटवार हल्का आलावास भू0अ0निरी0 सोजत रोड़ तह0 सोजत में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि नया खाता संख्या 243 पुराना खाता नंबर 227 खसरा नंबर 214, 215, 216, 217 कुल खसरा 04 कुल रकबा 2.9300 हैक्टर किस्म मेहन्दी, बा0अ0 पक्षकारानो में बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा कर विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा भिजवाने हेतु तहसीलदार, सोजत को आदेशित किया गया। तहरीर पत्रांक/कोर्ट/2021/842 दिनांक 22.07.2021 द्वारा लिखा जाकर विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा चाहे जाने पर तहसीलदार, सोजत ने पत्रांक/राजस्व/2021/3313 दिनांक 13.08.2021 द्वारा आरटी0 एक्ट एवं आर0टी0 (राज) नियम 1955 के नियम 18 से 21 अनुसार विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा प्रेषित किये, सा0मि0 है।

पत्रावली आज दिनांक 02.10.2021 को प्रशासन गांवो के संग अभियान,2021 में आयोजित कोर्ट केम्प– अटल सेवा केन्द्र अटपड़ा में पेश होने पर अधिवक्ता मय वादी एवं अधिवक्ता मय प्रतिवादीगण उपस्थित हुए। प्रस्तुत आर0टी0एक्ट0 एवं आर0टी0 नियम के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए प्रेषित किया। उपस्थित उभय पक्षों की उपस्थिति में तैयार किये गये विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा में की गई स्वीकारोक्ति/सहमति अनुसार तथा उभयपक्षों के अधिवक्तागण की दौराने बहस स्वीकारोक्ति की है। जिससे वादी का वाद डिक्री किया जाना तथा वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य माफिक राजस्व रेकार्ड पक्षकारानों में उनके हक हिस्से एवं मौका स्थिति अर्थात विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शानुसार बंटवाड़ा किया जाकर खाता व लगान अलग–अलग अर्थात खसरा नम्बर, रकबा, किस्म व लगान अलग–अलग से निर्धारण किये जाने को आदेशित किया जाना उचित समझते है।

–: **आदेश** :–

अतः डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि मौजा बासनी तिलवाड़िया पटवार हल्का आलावास भू0अ0निरी0 सोजत रोड़ तह0 सोजत में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि नया खाता संख्या 243 पुराना खाता नंबर 227 खसरा नंबर 214, 215, 216, 217 कुल खसरा 04 कुल रकबा 2.9300 हैक्टर किस्म मेहन्दी, बा0अ0 की भूमि खातेदारों के बीच खसरा नम्बर, रकबा एवं लगान का निर्धारण निम्नांकित रूप से किया जाता है तथा नजरी नक्शे को निर्णय एवं डिक्री पर्चा का भाग बनाया जाता है –

क्र.स.	नाम खातेदार	ख0सं0	रकबा	किस्म	लगान
1.	भोमाराम पुत्र जसाराम जाति सरगरा सा0 सोजत खातेदार	217	0.7100	बा0अ0	4.26
2.	पोकरराम पुत्र किशनाराम 1/6, मगाराम पुत्र किशनाराम 1/3, रामलाल पुत्र पोकर राम 1/6, हिमताराम पुत्र कौलाराम 1/6 जाति सीरवी सा0 सियाट खातेदार, प्रेमराज पुत्र हस्तीमल 1/24, महावीर चन्द पुत्र सुगन चन्द 1/12, हस्तीमल पुत्र कानमल 1/24 जाति जैन सा0 सियाट खातेदार	214	0.6400	मेहन्दी	15.36
		215	0.9800	बा0अ0	5.88
		216	0.6000	बा0अ0	3.60
कुल योग		04	2.9300		29.10

तहसीलदार सोजत उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं तरमीम कर पालना प्रतिवेदन 15 दिवस की अवधि में इस न्यायालय को प्रस्तुत करें। उक्तानुसार डिकी पर्चा मुर्तिब हो। इस निर्णय, डिकी पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति तहसीलदार सोजत को पालना हेतु तहरीर के साथ प्रेषित करके पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021
अटल सेवा केन्द्र – अटबडा

यह निर्णय आज दिनांक 02.10.2021 को सरे ईजलास प्रशासन गांवो के संग अभियान/कोर्ट कैम्प, अटल सेवा केन्द्र अटपड़ा में मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021
अटल सेवा केन्द्र – अटबडा

(ओ020 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

प्रशासन गांवो के संग अभियान /कोर्ट कैम्प–अटल सेवा केन्द्र अटबडा

पीठासीन अधिकारी श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

	वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1.	भोमाराम पुत्र जस्साराम जाति सरगरा नि0 राम प्याउ के पीछे, शास्त्रीनगर सोजतसिटी तहसील सोजत, जिला–पाली, (राजस्थान)	1.	रामलाल पुत्र पोकरराम
		2.	मगाराम पुत्र किशनाराम उर्फ कसाराम जातियान सीरवी नि0 सियाट तह0 सोजत जिला पाली
		3.	प्रेमराज बम्बोली पुत्र हस्तीमल जाति जैन नि0 सियाट हाल नि0 Mega Trade Innovation PVT. Ltd B 1-370 Gandhi Street Near Kailash Cinema Chowk Ludhiana
		4	महावीरचन्द पुत्र सुगनचन्द के वारिस
		4/1	जितेन्द्र कुमार बम्बोली पुत्र महावीरचन्द बम्बोली जाति जैन निवासी सियाट हाल नि0 74/53 Brindavan ST West Mambalam Chennai 33.
		5	हिमताराम पुत्र कोलाराम जाति सिरवी नि0 सियाट तह0 सोजत जिला पाली
		6	तहसीलदार (भूमिधारक) सोजत

<u>राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

मु0नं0 :– 55/2020

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी अधिवक्ता वादी श्री गजेन्द्र सोनी एवं श्री गोविन्द दवे एवं श्री अशोक गहलोत अधिवक्ता प्रति0 संख्या 01 व 02 पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि मौजा बासनी तिलवाड़िया पटवार हल्का आलावास भू0अ0निरी0 सोजत रोड़ तह0 सोजत में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि नया खाता संख्या 243 पुराना खाता नंबर 227 खसरा नंबर 214, 215, 216, 217 कुल खसरा 04 कुल रकबा 2.9300 हैक्टर किस्म मेहन्दी, बा0अ0 की भूमि का विभाजन प्रस्ताव/बंटवाडा मय नजरी नक्शा के आधार पर खातेदारों के बीच खसरा नम्बर, रकबा एवं लगान का निर्धारण निम्नांकित रूप से किया जाता है तथा नजरी नक्शे को निर्णय एवं डिक्री पर्चा का भाग बनाया जाता है –

क्र.स.	नाम खातेदार	ख0सं0	रकबा	किस्म	लगान
1.	भोमाराम पुत्र जसाराम जाति सरगरा सा0 सोजत खातेदार	217	0.7100	बा0अ0	4.26
2.	पोकरराम पुत्र किशनाराम 1/6, मगाराम पुत्र किशनाराम 1/3, रामलाल पुत्र पोकर राम 1/6, हिमताराम पुत्र कौलाराम 1/6 जाति सीरवी सा0 सियाट खातेदार, प्रेमराज पुत्र	214	0.6400	मेहन्दी	15.36
		215	0.9800	बा0अ0	5.88
		216	0.6000	बा0अ0	3.60

	हस्तीमल 1/24, महावीर चन्द पुत्र सुगन चन्द 1/12, हस्तीमल पुत्र कानमल 1/24 जाति जैन सा0 सियाट खातेदार				
	कुल योग	04	2.9300		29.10

तहसीलदार, सोजत उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं तरमीम कर पालना प्रतिवेदन 15 दिवस की अवधि में इस न्यायालय को प्रस्तुत करें। इस निर्णय एवं डिकी पर्चा व विभाजन प्रस्ताव व नजरी नक्शा की प्रति तहसीलदार, सोजत को पालना हेतु तहरीर के साथ प्रेषित की जाकर पालना मंगवाई जावे। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद पालना तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/ लेख्य भण्डार जमा हो।

मीजान – मुबलिग – बाबत ––

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

बशिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 02.10.2021 को आयोजित प्रशासन गांवो के संग अभियान/कोर्ट कैम्प–अटल सेवा केन्द्र अटबडा जारी की गई।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021
अटल सेवा केन्द्र – अटबडा

मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकलतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य	मुतफर्रिक	शून्य	शून्य
मतफर्रिक	शून्य	शून्य			